मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

04

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मुख्य बिन्दु

- राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवम्बर, 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 कुल 13,507 उचित मूल्य दुकानें संचालित है।
- वर्तमान में 72.71 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं।
- वर्ष 2022–23 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड–ए) के समर्थन मूल्य क्रमशः 2,040 एवं 2,060 केन्द्र सरकार द्वारा घोषित।
- खरीफ वर्ष 2021–22 में 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 2449841.81 लाख रूपये धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2022–23 नवंबर तक 23,27,759 टन चावल, 46,600 टन शक्कर, 65,901 टन नमक एवं 42,119 टन चना का उठाव हुआ।

4.1 मूल्यः— आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन का समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विक्रेता के दृष्टिकोण से, एक प्रभावी क़ीमत वह मूल्य है जो उस अधिकतम के बहुत निकट है, जितना ग्राहक भुगतान करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक संदर्भ में, यह वही मूल्य है जो उपभोक्ता के अधिकांश अधिशेष को निर्माता को अंतरित करता है।अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय के समूह में शामिल प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का अनुमान लगाने हेतु मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आर्थिक योजना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा विक्रेता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत आधार पर उत्पन्न वास्तविक मुद्रा स्फीति को दर्शाता है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाने वाला प्राथमिक मापक है।

4.1.1 भारत में मूल्य स्थितिः— केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदशों के ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2012) जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवम्बर 2021 में 166, 164.9 एवं 165.6 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो दिसम्बर 2022 में 170.8, 166.9 एवं 169.3 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया। नवम्बर 2021 के लिए भारत की सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 167.6, 165.6 एवं 166.7 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो दिसम्बर 2022 में 177.1, 174.1 एवं 175.7 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया।

तालिका 4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकॉक

भारत/राज्य	नवम्बर –2021			दिसम्बर –2022		
	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त
भारत	167.6	165.6	166.7	177.1	174.1	175.7
छत्तीसगढ़	166	164.9	165.6	170.8	166.9	169.3

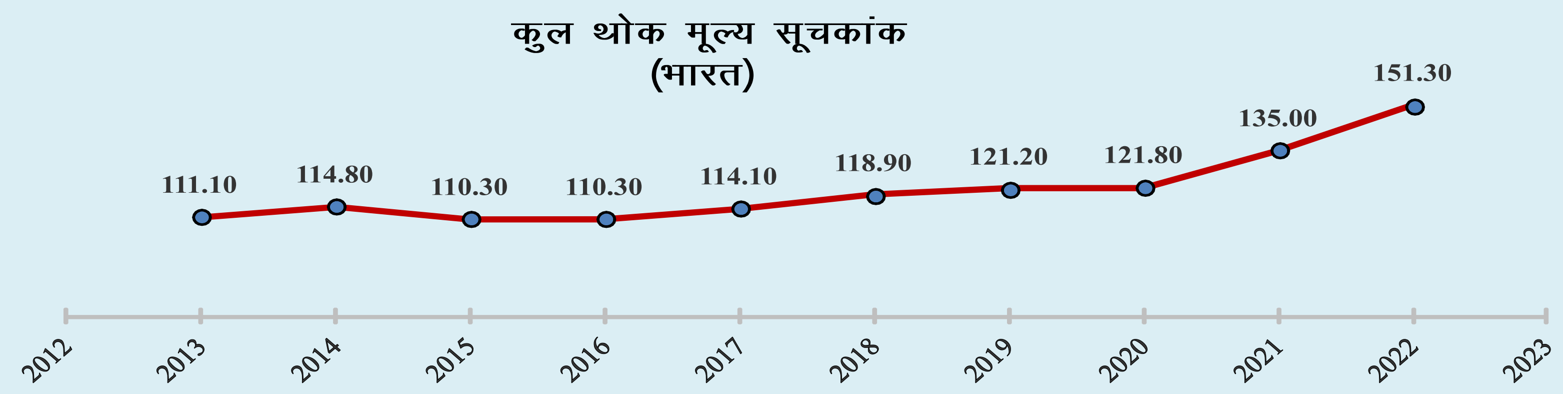

स्रोतः—आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार

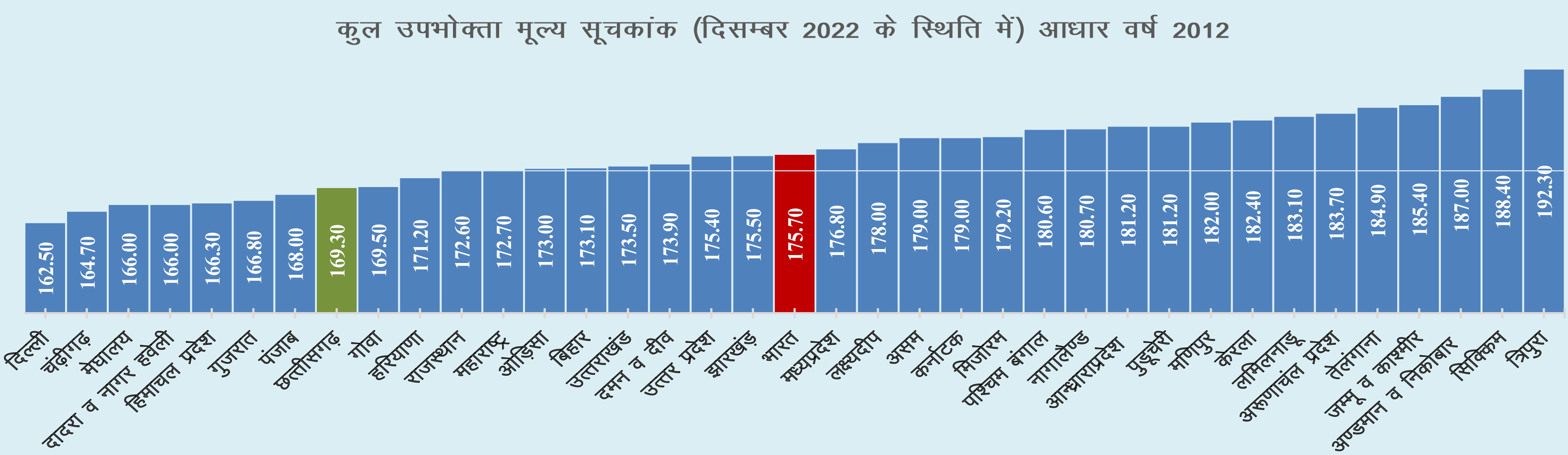

स्रोतः— सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण, विशेषतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदाय किया जाता है। राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 138 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 13,507 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 72.71 लाख राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

4.2 उचित मूल्य दुकान :– राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवम्बर, 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 कुल 13,507 उचित मूल्य दुकानें संचालित है। इनमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,769 दुकान, ग्राम पंचायत द्वारा 3,867 दुकान, महिला स्व–सहायता समूह द्वारा 4,756 दुकान, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 105 तथा नगरीय निकाय द्वारा 10 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही है। उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार, जिलेवार जानकारी तालिका 4.5 दर्शित है।

4.3 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 :– प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रतानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् लगभग 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रतिकिलो है, जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून में अंत्योदय एव प्राथमिकता वाले 62.96 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से तथा सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवार वाले 9.22 लाख परिवारों को 10 रूपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदाय किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 4.2 योजनांतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर

क्र.	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1	अंत्योदय परिवार	चावल	35 कि.ग्रा. प्रतिमाह	रू. 1 प्रति कि.ग्रा.
		चना	2 कि.ग्रा. प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	रू. 5 प्रति कि.ग्रा.
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 कि .ग्रा. प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	निः शुल्क
2	प्राथमिकता परिवार	चावल	01 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किग्रा प्रतिमाह	रू. 1 प्रति कि.ग्रा.
			02 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किग्रा प्रतिमाह	
			03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किग्रा प्रतिमाह	
			05 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में प्रति सदस्य 07 किग्रा प्रतिमाह	
		चना	2 कि.ग्रा. प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	रू. 5 प्रति कि.ग्रा.
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 कि .ग्रा. प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	निःशुल्क
3	एकल निराश्रित	चावल	10 किग्रा प्रतिमाह	निःशुल्क
4	निःशक्तजन	चावल	10 किग्रा प्रतिमाह	निःशुल्क
5	सामान्य परिवार	चावल	01 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किग्रा प्रतिमाह	रू.10 प्रति कि.ग्रा.
			02 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किग्रा प्रतिमाह	
			03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किग्रा प्रतिमाह	

टीपः–

- चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी परिवारों को है।
- उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशनकार्ड 17 रू. प्रति किग्रा की दर से 1 किग्रा शक्कर की पात्रता है।
- बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 02 किलो गुड़ 17 रू. प्रति किलो ग्राम की दर से प्रदाय किया जा रहा है।
- अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्डधारियों को केरोसिन की पात्रता है।

4.4 सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Universal PDS) :– राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ 02 अक्टूबर, 2019 से किया गया है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राथमिकता राशनकार्डो के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ–साथ सामान्य परिवारों के लिए भी सामान्य परिवार वाले राशनकार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता) को भी खाद्यान्न की पात्रता होगी। वर्तमान में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्ड जारी किया जा रहा है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 91 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

4.5 राशनकार्ड :– राज्य में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत (नवंबर 2022 की स्थिति में) कुल 72.71 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। इनमें से 14.43 लाख अंत्योदय राशनकार्ड, 48.53 लाख प्राथमिकता राशनकार्ड, 38,427 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 13,809 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 9.22 लाख सामान्य श्रेणी के राशनकार्ड प्रचलित हैं। इन राशनकार्डो में निर्धारित पात्रतानुसार प्रतिमाह राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है। राशनकार्डों की योजनवार, जिलेवार जानकारी **तालिका 4.6** में दर्शित है।

4.6 राशन सामग्री का आवंटन :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में अप्रैल से नवम्बर, 2022 तक खाद्यान्न आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 4.3 सामग्रियों का वर्षवार उठाव (मात्रा मे.टन में)									
क्र	सामग्री	वर्ष							
		2019–20		2020–21		2021–2022		2022–23 (नवम्बर, 2022 की स्थिति में)	
		आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
1	चावल	2351136	2289683	3093418	3021148	3333849	3243880	2431357	2327759
2	शक्कर	68310	65066	68106	67137	69926	68502	48608	46600
3	नमक	57062	54495	96351	94205	99007	96886	68668	65901
4	चना	37018	35320	40510	40054	62772	61865	43219	42119

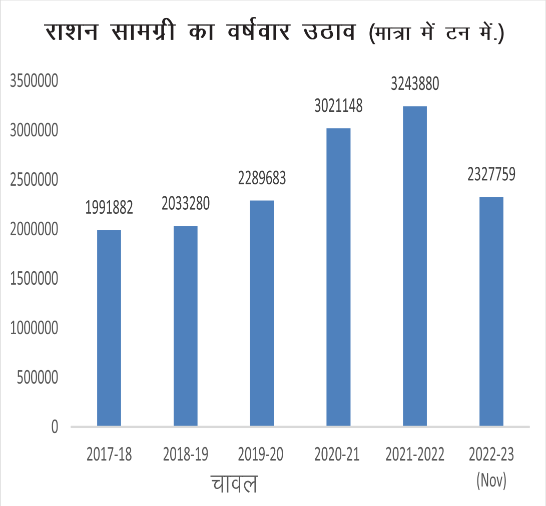

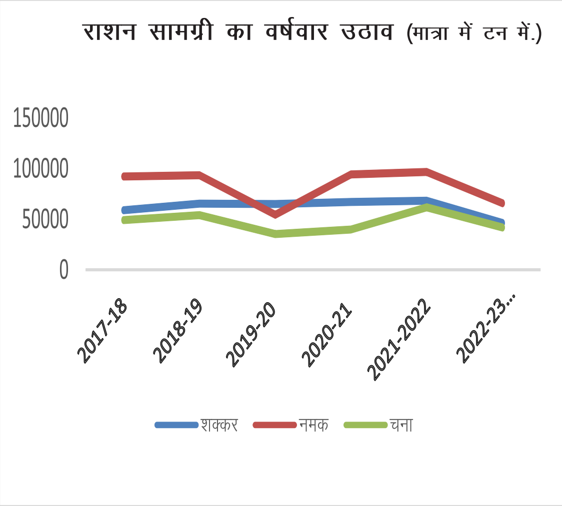

4.7 कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य – न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। समर्थन मूल्य घोषित करने के समय उत्पादन मूल्य के साथ–साथ समग्र मांग एवं पूर्ति, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर उपजीय समता एवं अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों यथा–भूमि एवं जल का युक्तिपूर्ण उपयोग को भी CACP द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

CACP एक विशेषज्ञ निकाय है जिसकी अनुशंसाओं को भारत शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में जैसे –किसी उपज का अधिक उत्पादन एवं किसी अन्य उपज के कम उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उपजों के उत्पादन एवं

उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप शासन द्वारा बोनस/प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। वर्ष 2015–16 से 2022–23 तक खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण तालिका क्र. 4.4 में दर्शित हैं।

तालिका क्र 4.4 समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल

फसल/किस्म	विपणन वर्ष							
	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22	22–23
धान सामान्य	1410	1470	1550	1750	1815	1868	1940	2040
धान ग्रेड–ए	1450	1510	1590	1770	1835	1888	1960	2060
गेहूं	1450	1525	1625	–	–	–	2015	–
ज्वार	1570	1625	1700	2430	2550	2640	2738	2970
बाजरा	1275	1330	1425	1950	2000	2150	2250	2350
मक्का	1325	1365	1425	1700	1760	1850	1870	1962
रागी	1650	1725	1900	2897	1760	3295	3377	3578
अरहर	4625 (रू.200 बोनस सहित)	4625	5440 (रू.200 बोनस सहित)	5675	5800	6000	6300	6600
उड़द	4625 (रू.200 बोनस सहित)	4575	5400 (रू.200 बोनस सहित)	5600	5700	6000	6300	6600
मूंगफली	4030	4120	4500	4890	5090	5275	5550	5850
मूंग	4850 (रू.200 बोनस सहित)	4800	5575 (रू.200 बोनस सहित)	6975	7050	7196	7275	7755
सोयाबीन	2600	2675	3050 (रू.200 बोनस सहित)	3399	3710	3880	–	4300
सूर्यमुखी	3800	3850	4100 (रू.200 बोनस सहित)	5388	5650	5885	5441	6400

छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भारत शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाता है। राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जा रही है।

खरीफ वर्ष 2021–22 में 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 2449841.81 लाख रूपये धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है। इस वर्ष किसानों से 120.9 टन मक्का की खरीदी की गई तथा 22.60 लाख रूपये का भुगतान किया गया है।

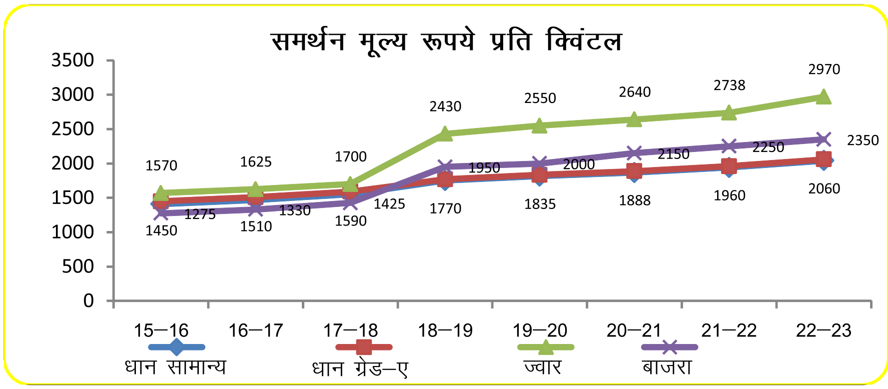

खरीफ वर्ष 2022–23 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तिथि 01 नवम्बर, 2022 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक तथा मक्का उपार्जन 01 नवम्बर, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक है। इस खरीफ वर्ष में भारत शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य कॉमन धान हेतु 2040 रूपये प्रति क्विंटल, ग्रेड–ए धान हेतु 2060 रूपये प्रति क्विंटल तथा मक्का हेतु 1962 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

4.8 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरणः– खाद्य विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2007–08 में धान खरीदी की समस्त व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसमें नियमित सुधार किया जा रहा है।

खरीफ वर्ष 2021–22 से समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किया जा रहा है।

4.9 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

- **पीडीएस–ऑनलाईन व्यवस्था** :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 13,507 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशनकार्डों के आधार पर जनवरी, 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार आबंटन जारी किया जा रहा वित्तीय वर्ष 2022–23 में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के अंतर्गत कुल 13,443 उचित मूल्य दुकान में ई–पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकान स्तर तक कम्प्यूटरीकरण से राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई है।

- **चावल उत्सव** :— राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी, 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा जहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है, तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव के आयोजन का प्रावधान है। इन उत्सव के दिन निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

- **कॉल सेंटर** :— सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा जनवरी, 2008 से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसका दूरभाष क्र. 1967 एवं 1800—233—3663 (टोल फ्री) है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

- **जनभागीदारी वेबसाईट**:— जनभागीदारी वेबसाईट (https:// khadya.cg.nic.in/citizen/ citizenhome. aspx) राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई—मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार सहित नेशनल ई—गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई—इंडिया अवार्ड, सी.एस.आई. ई—गवर्नेंस अवार्ड, सी.एस.आई निहिलेंट ई—गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुए है।

तालिका क्रमांक 4.5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार संचालन की जानकारी

क्र.	जिला	एजेंसी के प्रकार					योग	शहरी उ.मू. दु. की संख्या	ग्रामीण उ.मू.दु. की संख्या
		सहकारी समिति	ग्राम पंचायत	महिला स्व. सहायता समूह	वन सुरक्षा समिति	नगरीय निकाय			
1	बस्तर	108	241	132	4	0	485	48	437
2	बीजापुर	24	117	49	0	0	190	14	176
3	दन्तेवाड़ा	77	61	30	0	0	168	24	144
4	कांकेर	105	221	151	10	0	487	30	457
5	कोंडागांव	57	233	98	15	0	403	22	381
6	नारायणपुर	20	81	11	1	0	113	8	105
7	सुकमा	46	103	19	2	0	170	12	158
8	बिलासपुर	267	183	222	3	0	675	165	510
9	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	23	24	149	3	0	199	15	184
10	जांजगीर	165	48	173	0	0	386	48	338
11	कोरबा	107	165	202	4	0	478	62	416
12	मुंगेली	72	101	222	1	0	396	24	372
13	रायगढ़	87	309	247	4	0	647	89	558
14	बालोद	150	156	144	19	0	469	31	438
15	बेमेतरा	164	53	242	0	0	459	28	431
16	दुर्ग	316	67	270	0	1	654	350	304
17	कवर्धा	193	81	223	2	0	499	30	469
18	राजनांदगांव	167	65	246	4	0	482	74	408
19	बलौदा बाजार	323	55	185	0	0	563	38	525
20	धमतरी	313	27	101	0	0	441	51	390
21	गरियाबंद	280	41	36	0	0	357	16	341
22	महासमुंद	494	14	82	1	0	591	38	553
23	रायपुर	492	83	62	0	0	637	221	416
24	बलरामपुर	58	237	168	13	0	476	8	468
25	जशपुर	6	429	37	0	9	481	19	462
26	कोरिया	16	52	99	2	0	169	13	156
27	सरगुजा	204	92	208	7	0	511	67	444
28	सुरजपुर	141	194	177	3	0	515	23	492
29	सक्ती	51	67	224	0	0	342	19	323
30	मनेन्द्र•ढ़–चिरमिरी	43	97	102	5	0	247	49	198
31	सारं•ढ़–बिलाई•ढ़	40	95	250	2	0	387	21	366
32	खैरा•ढ़–छुईखदान	89	43	106	0	0	238	16	222
33	मोहला–मानपुर	71	32	89	0	0	192	5	187
	कुल योग	**4769**	**3867**	**4756**	**105**	**10**	**13507**	**1678**	**11829**

तालिका क्र. 4.6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों की जानकारी							
क्र.	जिला	अंत्योदय राशनकार्ड	प्राथमिकता राशनकार्ड	एकल निराश्रित राशनकार्ड	निःशक्तजन राशनकार्ड	सामान्य राशनकार्ड	योग
1	बस्तर	46972	134101	618	62	21911	203664
2	बीजापुर	24025	41592	9	37	4033	69696
3	दन्तेवाड़ा	28833	43359	85	405	6467	79149
4	कांकेर	35070	119830	364	244	26011	181519
5	कोंडागांव	33203	96849	466	23	11260	141801
6	नारायणपुर	17214	14350	67	30	4039	35700
7	सुकमा	30405	44329	95	16	2392	77237
8	बिलासपुर	90871	341847	3735	853	70841	508147
9	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	28237	74935	320	107	6007	109606
10	जांजगीर	45647	211576	2021	836	32072	292152
11	कोरबा	53796	218455	2052	1155	38632	314090
12	मुंगेली	51090	159277	1253	330	11854	223804
13	रायगढ़	66762	203056	1765	228	48389	320200
14	बालोद	29689	149109	836	986	29543	210163
15	बेमेतरा	41463	184979	3297	360	19893	249992
16	दुर्ग	71830	236993	2151	2696	134334	448004
17	कवर्धा	63876	184603	960	185	18177	267801
18	राजनांदगांव	37369	158246	333	317	35491	231756
19	बलौदा बाजार	44285	224252	2007	712	35309	306565
20	धमतरी	45327	151257	773	323	27688	225368
21	गरियाबंद	46832	132040	1166	560	12770	193368
22	महासमुंद	49645	219153	2547	1086	43325	315756
23	रायपुर	65301	379594	2924	1052	124131	573002
24	बलरामपुर	57057	133038	803	65	16149	207112
25	जशपुर	56336	159190	790	134	20234	236684
26	कोरिया	17457	51966	176	42	9438	79079
27	सरगुजा	66816	174165	934	137	22986	265038
28	सुरजपुर	55556	150074	1002	110	18131	224873
29	सक्ती	39402	147167	2249	438	23175	212431
30	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी	26373	58483	293	63	18068	103280
31	सारंगढ़–बिलाईगढ	42926	130717	1857	105	17636	193241
32	खैरागढ़–छुईखदान	16937	77063	429	53	7174	101656
33	मोहला–मानपुर	16738	47543	50	59	5127	69517
कुल योग		**1443340**	**4853188**	**38427**	**13809**	**922687**	**7271451**